पत्रांक–सं0सं0–02/उ0नि0/यात्रा(क्लस्टर)-28-03/2017..........

बिहार सरकार

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषयः– औधोगिक क्षेत्र, बेला, मुजफ्फरपुर में लेदर गुड्स पार्क की स्थापना के निमित्त भवनों के जीर्णोद्धार, 173 नए शेड के निर्माण एवं सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थाना एवं आधारभूत संरचना स्थापित करने हेतु बियाडा से प्राप्त अनुमानित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रू0 14,93,76,000/– (मात्र चौदह करोड़ तिरानबे लाख छिहत्तर हजार रूपए) के योजना की प्रशासनिक तदनुसार व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–13.02.18 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णय तदोपरान्त ज्ञापांक–646, दिनांक–15.02.18 द्वारा निर्गत कार्यवाही के आलोक में औधोगिक क्षेत्र, बेला, मुजफ्फरपुर में लेदर गुड्स पार्क की स्थापना के निमित्त भवनों के जीर्णोद्धार, 173 नए शेड के निर्माण एवं सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थाना एवं आधारभूत संरचना स्थापित करने हेतु बियाडा से प्राप्त अनुमानित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रू0 14,93,76,000/– (मात्र चौदह करोड़ तिरानबे लाख छिहत्तर हजार रूपए) के योजना की प्रशासनिक तदनुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव में माननीय मंत्री उद्योग विभाग का अनुमोदन सं0स0–02/उ0नि0/ यात्रा (क्लस्टर)–24–02/2017 के पृष्ट सं0–85/टि0 पर प्राप्त है।

3. लेदर गुड्स पार्क की स्थापना से संबंधित प्रस्तावित योजना का कार्य बिहार औधोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना द्वारा कराया जाएगा।

4. लेदर गुड्स पार्क के लिए निर्माण/ जीर्णोद्धार/ अनुरक्षण संबंधी कार्य भवन निर्माण विभाग के अधिसूचित दर पर किया जाएगा। गुणवत्ता के अनुरूप कार्य कराने की पूर्ण जवाबदेही बियाडा की होगी।

5. लेदर गुड्स पार्क के लिए सामग्रियों/ मशीन एवं उपकरणों के क्रय तथा उत्पादन पूर्व विविध कार्य हेतु राशि के व्यय में बिहार वित्तीय नियमावली में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

6. चूँकि यह योजना कम्पोजिट व्यय के लिए स्वीकृत की जा रही है, अतएव स्वीकृत योजना के अंतर्गत एक मद की अवशेष राशि का व्यय आवश्यकतानुसार अन्य मद में किया जा सकेगा जिसके लिए औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर लेनी होगी।

7. उक्त राशि का व्यय वहन वित्तीय वर्ष 2017–18 में माँग सं0–23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष– 2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष– 80–सामान्य, लघुशीर्ष–102–औधोगिक उत्पादकता, उपशीर्ष– 0163–व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रखरखाव–बिहार व्यापार विकास कोष, विषय शीर्ष–0163.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों का निर्माण, विपत्र कोड–23–2852801020163 के अंतर्गत उपबंधित एव आंवटित राशि से की जाएगी।

क्रमशः पृष्ठ–2

8. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा योजना के नोडल पदाधिकारी प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

9. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से बी0टी0सी0 फार्म सं0-46 पर होगी।

10. इस राशि की निकासी कर आयडा, पटना के पी0एल0 खाता सं0-PLA 268 में उपलब्ध कराई जाएगी।

11. प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना द्वारा कराए गए कार्य के अभिश्रव के आधार पर आयाडा द्वारा पी0एल0 खाता से राशि की निकासी कर भुगतान किया जाएगा।

12. इस राशि की निकासी में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार , पटना का अनुमोदन

पृष्ट-90/टि0 पर प्राप्त है।

14. प्रारुप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-2/उ0नि0/यात्रा (क्लस्टर)24-02/17 के पृष्ट संख्या-89/टि0 में प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक................../ दिनांक.........................

प्रतिलिपिः- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक....974..../ दिनांक....12.03.18

प्रतिलिपिः- वित्त विभाग, बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना/ प्रबंध निदेशक, आयडा, पटना/ उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं प्रशाखा-05 उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-01(सरकार)/ आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

Diwakar -02